

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)

:- आदेश :-

03/3/16

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-३१(आ०), दिनांक- 29.01.2016 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में "गैर योजना मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-लघुशीर्ष-109-पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप शीर्ष-0002-जिला परिषदों/ पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चुनाव" के अंतर्गत कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराई गई राशि को निम्नवत अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने उपावंटित किया जाता है।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	कुल पंचायत	कुल वार्ड	कुल मतदान केन्द्र	कार्यालय व्यय 13 01	कुल
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा				9062800	9062800
2	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा				50000	50000
3	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज				50000	50000
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	17	230	236	400000	400000
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	9	112	116	200000	200000
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	9	127	128	200000	200000
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	13	160	162	290000	290000
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	17	222	223	400000	400000
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	21	287	295	500000	500000
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	8	98	101	180000	180000
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	12	147	147	250000	250000
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	12	162	165	300000	300000
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	16	218	220	400000	400000
14	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	9	117	119	200000	200000
15	प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा	13	169	176	300000	300000
	प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	14	193	202	350000	350000
	कुल योग :-	170	2242	2290	13132800	13132800

मो० (एक करोड़ इकतीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र

- यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं 396, दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट भैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि क्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ क्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं क्ययन पदाधिकारी/ भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या एन 2015001090002 है।
10. राशि का क्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवंटित राशि का क्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में चुनाव समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर अथोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

₹/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक-...104...../पं0, मधेपुरा, दिनांक- 29 / 02 / 2016.

प्रतिनिधि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिनिधि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं भेधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।